

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 05/2021

अनवान : -

1. रमेशकुमार पुत्र मातराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर ।

- अपीलांट

बनाम्

1. विनयकुमार पुत्र साहबराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर ।
2. शकुन्तला पत्नी साहबराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
3. सुमन पुत्री साहबराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर ।
4. चन्द्रकला पुत्री मातराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर ।
5. अमरसिंह पुत्र मातराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
6. बलवत पुत्र मातराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
7. मोहनलाल पुत्र मातराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
8. ग्राम पंचायत फेफाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना तहसील नोहर
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

- रेस्पोंडेंटस

अपील विरुद्ध नामान्तरण आदेश संख्या 448 दिनांक 20.02.2008

रोही मौजा चक 1 जेएसएन ग्राम पंचायत फेफाना

उपस्थिति :- श्री हवासिंह पुनिया अपीलांट

श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पोंडेंटस 1

निर्णय

दिनांक: 18/1/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि रोही मौजा चक न. 1 जे.एस. एन. तहसील नोहर के प.न. 357/362 (12) कि.न. 4 ता 8, 13 ता 15 की 2.0240 प.न. 358/360 (3) कि.न. 5 ता 8, 13 ता 19, 22 ता 25 की 3. 2270 प.न. 358/361 (8) कि.न. 3/1, 3/2, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8, 12 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 19, 22 ता 24, 25/1, 25/2 की 4.2100 प.न. 358/362 (13) कि.न. 1 ता 12 की 3.0360 प.न. 359/360 (4) कि.न. 1. 9 ता 13, 18 ता 24 की 2.9340 प.न. 359/361 (7) कि.न. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 7 ता 9, 10/1, 10/2, 11 ता 14, 19 ता 21 की 3.2510 प.न. 359/362 (14) कि. न. 1/1, 1/2, 1/3, 10 की 0.5060 कुल 19.1880 हैक्टयर भूमि में से 272 हिस्सा भूमि मातराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर को विरास्तन प्राप्त हुई एवं 272 हिस्सा भूमि जरिये दस्तबरदारी दिनांक 8-6-1989 से प्राप्त हुई कुल 544 हिस्सा भूमि में से माईनर में भूमि अवाप्त होने के बाद 544/3 हिस्सा भूमि



Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

शेष रही जिसमें से जरिये दस्तबरदारी दिनांक 8-6-1989 से प्राप्त भूमि की अपने जीवन काल में ही एक वसीयत दिनांक 25-7-1990 को उप पंजियक नोहर से अपने चार पुत्रों अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्ट न. 5 ता 7 के पक्ष में तस्दीक करवा दी थी तथा मातराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर का दिनांक 20-10-2002 को देहांत हो गया इसलिए बाद देहांत मातराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्ट न. 5 ता 7 मुताबिक वसीयत दिनांक 25-7-1990 के आधार पर विवादित भूमि 507-2/3 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हो गये थे लेकिन मातहत अदालत द्वारा मुताबिक वसीयत दिनांक 25-7-1990 के आधार पर अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्ट न. 5 ता 7 के नाम विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की बजाय सम्पूर्ण भूमि अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्ट न. 4 ता 7 एवं साहबराम पुत्र मातराम के नाम विधि विरुद्ध तरीके से विवादित भूमि का इन्तकाल न. 448 दिनांक 20-02-2008 को विरास्तन तस्दीक कर दिया गया जबकि साहबराम पुत्र मातराम व रेस्पोजेन्ट न. 4 का विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है इसलिए मातहत अदालत ने अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्ट न. 5 ता 7 के नाम मुताबिक वसीयत भूमि दर्ज नहीं कर कानून की स्पस्ट अवहेलना कर इन्तकाल न. 448 दिनांक 20-02-2008 को तस्दीक किया गया है जो निरस्त योग्य है।

साहबराम पुत्र मातराम फोट हो चुका है जिसके जायज वारीस रेस्पोजेन्ट न. 1 ता 3 ही है। साहबराम पुत्र मातराम व रेस्पोजेन्ट न. 4 ने साजिसाना तरिके से विवादित भूमि में हक व हिस्सा ना होने के बावजूद भी वसीयत को नजर अन्दाज कर विरास्तन इन्तकाल गुपचुप तरिके से मातहत अदालत से दिनांक 20-02-2008 को इंतकाल संख्या 448 तस्दीक करवा लिया गया जो विधि के मान्य सिद्धान्तों के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है। मातहत अदालत ने निर्णय पारीत करने से पूर्व अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्ट न. 5 ता 7 को सुनवायी का कोई अवसर नहीं दिया ना ही इंतकाल दर्ज करने से पूर्व कब्जा संम्बधी जांच की यदि सही जांच कर पत्रावली का निर्णय किया जाता तो इस प्रकार का निर्णय करने की आवश्यकता नहीं होती इसलिए मातहत अदालत का निर्णय विधि के मान्य सिद्धान्तों के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है। वसीयत दिनांक 25-7-1990 में स्पस्ट लिखा है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्ट न. 5 ता 7 को ही विवादित भूमि प्राप्त होगी अन्य किसी वारीस का कोई हक व हिस्सा नहीं होगा उसके बावजूद भी मुताबिक वसीयत दिनांक 25-7-1990 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं कर मातहत अदालत ने अहम् भूल की है इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है। मातहत अदालत को निर्णय करने से पूर्व जांच कर प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था जबकि पत्रावली पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है जो मातहत अदालत ने एक अहम भूल की है जिस कारण भी मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्ट न. 5 ता 7 अपने हक व हिस्सा की भूमि को लगातार कास्त करते आ रहे एवं मुताबिक वसीयत वसीयत दिनांक 25-7-1990 के आधार पर खातेदार काश्तकार हो चुके है लेकिन ग्रामीण व्यक्ति है जिसे कानूनी जानकारी नहीं है ना ही रिकार्ड को

Lalul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

देखा अब मुताबिक वसीयत दिनांक 25-7-1990 के आधार पर भूमि अपने नाम दर्ज करवाने के लिए मातहत अदालत में प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तब अपीलान्त को विरास्तन इन्तकाल न. 448 दिनांक 20-02-2008 की जानकारी प्राप्त हुई जानकारी होते ही हल्का पटवारी से इतकाल की नकल दिनांक 14-7-2021 को प्राप्त की तब विधि विरुद्ध इतकाल के दर्ज होने की जानकारी हुई जानकारी होते ही वकील के मेंहन्ताना की व्यवस्था कर वकील से सम्पर्क किया एवं तुरन्त अपील पेश की जा रही है जो ज्ञान से अन्दर मियाद है। लिहाजा अपील अपीलान्त पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्त स्वीकार कर इतकाल संख्या 448 रोही मोजा चक न. 1 जे. एस.एन. तहसील नोहर दिनांक 20-02-2008 निरस्त करने का आदेश फरमावे ।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंटस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोंडेंट स0 1 की तरफ से अधिवक्ता श्री विजयसिंह कड़वासरा उपस्थित शेष रेस्पोंडेंट को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नहीं अतः रेस्पोंडेंटस के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांत ने बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की अपील में वर्णित भूमि मातराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर को विरास्तन प्राप्त हुई एवं 272 हिस्सा भूमि जरिये दस्तबरदारी दिनांक 8-6-1989 से प्राप्त हुई कुल 544 हिस्सा भूमि में से माईनर में भूमि अवाप्त होने के बाद 507-2/3 हिस्सा भूमि शेष रही जिसमें से जरिये दस्तबरदारी दिनांक 8-6-1989 से प्राप्त भूमि की अपने जीवन काल में ही एक वसीयत दिनांक 25-7-1990 को उप पंजियक नोहर से अपने चार पुत्रों अपीलान्त एवं रेस्पोंडेंट न. 5 ता 7 के पक्ष में तस्दीक करवा दी थी तथा मातराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर का दिनांक 20-10-2002 को देहांत हो गया इसलिए बाद देहांत मातराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर अपीलांत एवं रेस्पोंडेंट न. 5 ता 7 मुताबिक वसीयत दिनांक 25-7-1990 के आधार पर विवादित भूमि 507-2/3 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हो गये थे लेकिन मातहत अदालत द्वारा मुताबिक वसीयत दिनांक 25-7-1990 के आधार पर अपीलान्त एवं रेस्पोंडेंट न. 5 ता 7 के नाम विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की बजाय सम्पूर्ण भूमि अपीलान्त एवं रेस्पोंडेंट न. 4 ता 7 एवं साहबराम पुत्र मातराम के नाम विधि विरुद्ध तरीके से विवादित भूमि का इन्तकाल न. 448 दिनांक 20-02-2008 को विरास्तन तस्दीक कर दिया गया जबकि उक्त नामान्तरण संख्या 448 को तस्दीक करते वक्त न तो अपीलांत को सुना गया एवं न ही अपीलांत को कोई नोटिस जारी किया गया। मातहत अदालत ने अपीलांत एवं रेस्पोंडेंट न. 5 ता के नाम मुताबिक वसीयत भूमि दर्ज नहीं कर कानून की स्पस्ट अवहेलना कर इन्तकाल न. 448 दिनांक 20-02-2008 को तस्दीक किया गया है जो निरस्त योग्य है।


अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने बहस में निवेदन किया की उक्त भूमि का नामान्तरण सही दर्ज हुआ है उक्त भूमि पूर्व में मातराम के वारिसान के नाम दर्ज थी अर्थात दादालाई भूमि जिसका

Sahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मातराम को वसीयत करने का अधिकार ही नहीं था एवं नामान्तरण 448 दिनांक 20.02.2008 को विरासतन दर्ज हुआ है जो की सही दर्ज किया गया है माननीय सिविल न्यायालय में वसीयत बाबत वाद जैरकार है एवं नामान्तरण स0 444 दिनांक 20.10.2008 को खारिज करवाने हेतु अपीलांट ने माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर जगदीश में अपील पेश की थी जो की दिनांक 14.02.2023 को खारिज की जा चुकी है। रेस्प0 को विरासतन इंतकाल का ध्यान था क्योंकि इन्होंने केसीसी करवाई है केवल हमे तंग व परेशान करने के लिए करीबन 18 वर्ष बाद यह अपील पेश की है। अतः अपील खारिज की जावें।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन निर्णयों व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया। मातराम का देहान्त दिनांक 20.10.2002 को हुआ एवं नामान्तरण संख्या 448 दिनांक 20.02.2008 को विरासतन दर्ज हुआ है जो की मातराम के सभी वारिसान के नाम दर्ज हुआ है अपीलांट व रेस्प0 द्वारा केसेसी लॉन लिया गया है जिसका नामान्तरण दर्ज किय गया है इससे स्पष्ट जाहिर है कि अपीलांट को उक्त विरासतन नामान्तरण का भलीभांती ज्ञान था अपीलांट के पक्ष में दिनांक 25.07.1990 को वसीयत की गई एवं मातराम का देहान्त वर्ष 2002 में हुआ तथा विरासतन नामान्तरण 2008 में दर्ज हुआ है अपीलांट द्वारा करीबन 18 वर्ष पश्चात यह अपील पेश की गई है जबकि अपीलांट को विरासतन नामान्तरण का ज्ञान था इतने वर्ष अपीलांट द्वारा अपील पेश किया जाना संदेहास्पद है। इसलिए अपील गुणावगुण से पूर्व मियाद पर निर्णित किया जाना आवश्यक है एवं अपीलांट द्वारा इतने वर्ष बाद अपील पेश की गई जो की क्षमा योग्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज योग्य है। रेस्प0 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक वसीयत की अपील सिविल न्यायालय में जैरकार है एवं अपीलांट द्वारा नामान्तरण संख्या 444 दिनांक 20.10.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को खारिज किया जा चुका है उपरोक्त विवेचनास्वरूप मातहत अदालत द्वारा पारित किया निर्णय विधिसम्मत है। उपरोक्त विवेचनास्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18/12/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर